

दया या करुणा नहीं, काम अब अधिकार है

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, २००५ के अंतर्गत ग्राम पंचायत प्रधान के समक्ष लिखित आवेदन करना पड़ता है. आवेदन आप निम्न जगहों पर जमा कर सकते हैं:

१. ग्राम पंचायत कार्यालय
२. निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्य
  ३. स्कूल शिक्षक
  ४. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
  ५. सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य
  ६. तथ्य मित्र केंद्र

उपरोक्त सभी आवेदन करने पर आपको आपके आवेदन की रसीद अवश्य देंगे

याद रखिये आवेदन के १५ दिनों के अन्दर यदि आपको काम नहीं मिलता तब नियमानुसार आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा .

काम मांगोगे काम मिलेगा, काम का पूरा दाम मिलेगा

जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गाँधी एन आर ई जी ए, जलपाईगुड़ी द्वारा  
जनहित में जारी